न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2742–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–06–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 2/2013–14/अ–27

.....

पुनीबाई पति जगन्नाथ
निवासी ग्राम सिंदोडी तहसील व
जिला धार

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–जीवनबाई पिता जगन्नाथ
निवासी ग्राम उटावद तहसील व जिला धार
2–सुगनाबाई पिता जगन्नाथ
निवासी ग्राम सिंदोड़ी तहसील व जिला धार

..... अनावेदिकागण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदिका
श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदिकागण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/6/2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत अनावेदिकागण

के संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–27/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में उसका हक होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–06–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदिका की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका स्व.जगन्नाथ की बेवा है और अनावेदिकागण जगन्नाथ की पुत्री हैं, अतः आवेदिका प्रथम पंक्ति की वारिस है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि में उसका हक निहित है ।

(2) आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष वैधानिक एवं तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, कि प्रश्नाधीन भूमि में उसका है, अतः उसे पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाये, इसलिये तहसीलदार द्वारा आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा आपत्ति निरस्त करने का कारण आदेश में नहीं दर्शाया है, अतः तहसीलदार का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उभयपक्ष को सुनकर तहसीलदार द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है ।

(2) अभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदिकागण के पिता के बाद हिस्से के अनुसार तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदिका द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदिका क्रमांक 1 जीवन बाई द्वारा आवेदन पत्र धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव/आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि ग्राम सिंदोडी तहसील व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नं. 70, 82, 84, 85, 92, 93, 124, 144 व 49, 55, 58, 107, 132, 133, 139, 141/2, 141/3 में स्थित है, जो उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है, जिसमें उसका हक एवं अधिकार है, क्योंकि वह भूमि स्वामी जगन्नाथ की पत्नी है, किन्तु जानबूझकर उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्व पक्षकार है । वर्तमान प्रकरण स्वत्व से संबंधित है, ऐसी स्थिति में अनावेदिका को स्वत्व घोषणा कराने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही की जाना चाहिये, क्योंकि स्वत्वों का अन्तिम रूप से निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाता है, हक का प्रश्न अधिकारिता सिविल न्यायालय को है । इस संबंध में 1975 आर.एन 87, 2005 आर. एन. 205 में व्यवस्था दी गयी है कि धारा 178 विभाजन का मामला किसी भी पक्ष का हक विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता, हक विनिश्चित किया गया आदेश न केवल अवैध है, अपितु अधिकारिता रहित भी है। जहॉ तक आवेदिका को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है तो वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार है, किन्तु उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार के प्रकरण कमांक 02/अ–27/2013–14 में की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर